

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ.3(1)प्राशि/एमडीएम/बजट/18-19/ 1018

जयपुर, दिनांक:- 12/11/18

जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
(प्रारम्भिक शिक्षा),
जिला समस्त।

विषय :- वर्ष 2018-19 में मिड डे मील के तहत 'अन्नपूर्णा दूध योजना' हेतु राशि के आवंटन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

मिड डे मील के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 'अन्नपूर्णा दूध योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राशि जारी की गई है जिसे निम्नानुसार विभिन्न मर्दों हेतु राज्य मद(SF) में प्रावधित राशि में से राशि 6668.00 लाख (अक्षरे छियासठ करोड़ अड़सठ लाख रुपये मात्र) जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), के पी0डी0 खाते में हस्तान्तरण करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। मिड डे मील योजना के अन्तर्गत इस राशि का विकलेय मद निम्न है:-

मांग संख्या-24 2202 -सामान्य शिक्षा

01- प्रारम्भिक शिक्षा

112 -मिड डे मील कार्यक्रम

(02)-राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम(मिड डे मील)

[01]-विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार

12 सहातार्थ अनुदान (राज्य मद) (SF)

(₹ लाखों में)

जिला	दूध कय की राशि कक्षा 1 से 8	Total
अजमेर	338.96	338.96
अलवर	405.80	405.80
बासवाडा	56.22	56.22
बारां	117.79	117.79
बाडमेर	635.58	635.58
भरतपुर	273.54	273.54
भीलवाडा	370.10	370.10
बीकानेर	265.70	265.70
बून्दी	109.25	109.25
चित्तौडगढ	184.31	184.31
चूरु	162.88	162.88
दौसा	103.46	103.46
धोलपुर	160.11	160.11
डूंगरपुर	56.60	56.60
गंगानगर	48.66	48.66
हनुमानगढ	67.34	67.34
जयपुर	380.86	380.86
जैसलमेर	124.14	124.14
जालौर	267.55	267.55

झालावाड	198.64	198.64
झुन्झुनू	99.86	99.86
जोधपुर	589.24	589.24
करौली	87.58	87.58
कोटा	79.42	79.42
नागौर	293.78	293.78
पाली	234.36	234.36
प्रतापगढ़	34.86	34.86
राजसमन्द	209.11	209.11
सवाईमाधोपुर	94.25	94.25
सीकर	187.74	187.74
सिरोही	79.50	79.50
टोंक	120.67	120.67
उदयपुर	230.14	230.14
योग	6668.00	6668.00

दूध क्य की राशि यथाआवश्यकता कक्षा 1से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में उपयोग ली जा सकती है। लेकिन व्यय का विवरण अलग-अलग रखा जावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या/FD/E-1/101805884 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। उपर्युक्त राशि का व्यय 'अन्नपूर्णा दूध योजना' के दिशा निर्देशों, वित्तीय नियमों तथा विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए किया जायेगा तथा राशि का व्यय निर्धारित प्रयोजनार्थ ही कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग को नियत अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

www.rajteachers.com

(वेद सिंह)

संयुक्त शासन सचिव
एवं आयुक्त मिड डे मील

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा), के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी करने की व्यवस्था करावे।
2. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर (लेखा एवं हक), जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
5. सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा नं. 98(ए), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 7- सहायक प्रोग्रामर, एमडीएम मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर डालने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव
एवं आयुक्त मिड डे मील

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ.3(1)प्राशि/एमडीएम/बजट/18-19/ 1019

जयपुर, दिनांक:- 12/11/2018

जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
(प्रारम्भिक शिक्षा),
जिला समस्त।

विषय:- वर्ष 2018-19 में मिड डे मील के तहत 'अन्नपूर्णा दूध योजना' हेतु राशि के आवंटन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

मिड डे मील के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 'अन्नपूर्णा दूध योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राशि जारी की गई है जिसे निम्नानुसार विभिन्न मदों हेतु राज्य मद(SF) में प्रावधित राशि में से राशि 3450.00 लाख (अक्षरे चौतीस करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), के पी0डी0 खातो में हस्तान्तरण करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। मिड डे मील योजना के अन्तर्गत इस राशि का विकलेय मद निम्न है:-

मांग संख्या-30

2202 -सामान्य शिक्षा

01-प्रारम्भिक शिक्षा

796 -जनजातियां क्षेत्र उपयोजना

(14)-राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम(मिड डे मील)

[01]- विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार

12 सहातार्थ अनुदान राज्य मद(SF)

(₹ लाखों में)

जिला	दूध कय की राशि कक्षा 1 से 8	Total
अजमेर	19.68	19.68
अलवर	65.35	65.35
बासवाडा	694.44	694.44
बारां	53.16	53.16
बाडमेर	84.52	84.52
भरतपुर	12.33	12.33
भीलवाडा	83.26	83.26
बीकानेर	8.58	8.58
बून्दी	40.72	40.72
चित्तौडगढ	77.04	77.04
चूरु	2.56	2.56
दौसा	61.32	61.32
धोलपुर	24.43	24.43
डूंगरपुर	540.57	540.57
गंगानगर	0.00	0.00
हनुमानगढ	0.76	0.76
जयपुर	123.43	123.43
जैसलमेर	10.15	10.15

जालौर	63.99	63.99
झालावाड	45.40	45.40
झुन्झुनू	3.79	3.79
जोधपुर	23.20	23.20
करौली	32.18	32.18
कोटा	19.51	19.51
नागौर	11.38	11.38
पाली	53.50	53.50
प्रतापगढ़	291.21	291.21
राजसमन्द	65.35	65.35
सवाईमाधोपुर	25.52	25.52
सीकर	11.00	11.00
सिरोही	65.59	65.59
टोंक	25.62	25.62
उदयपुर	810.46	810.46
योग	3450.00	3450.00

दूध क्य की राशि यथाआवश्यकता कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में उपयोग ली जा सकती है। लेकिन व्यय का विवरण अलग-अलग रखा जावें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या/FD/E-1/101805884 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। उपर्युक्त राशि का व्यय 'अन्नपूर्णा दूध योजना' के दिशा निर्देशों, वित्तीय नियमों तथा विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए किया जायेगा तथा राशि का व्यय निर्धारित प्रयोजनार्थ ही कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस विभाग को नियत अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

www.rajteachers.com

(वेद सिंह)

संयुक्त शासन सचिव
एवं आयुक्त मिड डे मील

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा), के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी करने की व्यवस्था करावें।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
5. सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा नं. 98(ए), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
7. सहायक प्रोगामर, एमडीएम मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर डालने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव
एवं आयुक्त मिड डे मील

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

क्रमांक : प.4(123)वित्त1(1)/आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2018

स्वीकृति संख्या-426/2018-19

समस्त कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय, राजस्थान ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत ।

महोदय,

संयुक्त शासन सचिव एवं आयुक्त मिड डे मील, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.3(1)प्रा0शि0/एमडीएम/बजट/18-19/1018 दिनांक 12.11.2018 एवं समसंख्यक स्वीकृति क्रमांक 1019 दिनांक 12.11.2018 में अंकित कार्य एवं शर्तों के अनुरूप व्यय हेतु राशि रुपये 10118.00 लाख (अक्षरे रुपये एक सौ एक करोड़ अठारह लाख मात्र) की राशि निम्न बजट शीर्षों से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा), के निजी निक्षेप खातों में उनके सामने अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे:-

(राशि लाख में)

विवरण	मांग संख्या-24	मांग संख्या-30	योग
	2202- सामान्य शिक्षा 01 - प्रारम्भिक शिक्षा 112 -विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम (02)-राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील) [01]-विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार 12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	2202- सामान्य शिक्षा 01 - प्रारम्भिक शिक्षा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (14)-राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील) [01]-विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार 12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	
	राज्य निधि	राज्य निधि	
स्वीकृति की राशि	6668.00	3450.00	10118.00
प्रशा. वि. स्वीकृति का क्रमांक	1018	1019	

(अक्षरे रुपये एक सौ एक करोड़ अठारह लाख मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा निर्वाचन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

www.rajteachers.com

भवदीय,

६०

(जसवन्त सिंह)


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव एवं मिड डे मील, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना विभाग।
4. आयुक्त, मिड डे मील, नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार) परिसर, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जिला समस्त।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट), विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)